भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1909**

दिनांक 02 अगस्‍त, 2018 को उत्‍तर के लिए

**केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड में सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन**

**1909. श्री संजय सिंहः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है, में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सिफारिशों के सभी लाभ सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को दिये गये हैं;

(ग) उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये लाभ नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी लाभ देने में कितना समय लगेगा?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : जी, हां। सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

(ख) : सेवानिवृत्‍त हो चुके और सेवानिवृत्‍त हो रहे कार्मिकों के लिए सिफारिशों के लाभों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) : सेवानिवृत्‍त कार्मिकों की संख्‍या जिन्हें छोड़ दिया गया है 303 है। उन्‍हें लाभ प्रदान किए जाने का मामला विचाराधीन है।

(घ) : यह मामला विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*